फर्द अहकाम

मोतीलाल वगैरह बनाम कमला देवी वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 117/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		बहस हेतु दिनांक 30/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण नोटिस तामील के एन.ओ.सी. दे दी है। अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 1,2 उपस्थित वकील प्रार्थी ने पेश कर राजीनामा की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता हूँ। अतः अप्रार्थी का प्रा.पत्र धारा 151 CPC खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 रा. काश्त. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
117/2023 2024	20/07/2023	30.07.2024.

1. भौरीलाल पुत्र रूघनाथ
2. कमला देवी पत्नि भौरीलाल
3. मीना देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नि मदनलाल
2. सुनीता देवी पत्नि अशोक कुमार

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

3. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामजीलाल मीना – वकील प्रार्थीगण।
श्री महेश शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 1.8100है के साबिक खसरा नम्बर 235 के साबिक खसरा नम्बर 630 स्थित है जो ग्राम साईवाड पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त होर खेती का कार्य करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी खेती कर अपना व अपने परिवारजन का पालना पोषण करते आ रहे है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसा मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 304 को नक्शें में कम करते हुये पड़ोसी खातेदार हाल खसरा नम्बर 306 की भूमि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 304 में प्रवेश करते हुये नक्शा अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शें अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शें का मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है जिस कारण नवीन नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि पूर्व नक्शे अनुसार नापझोक करने पर सही आती है जिस कारण प्रार्थीगण के लिए उकत दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा सेटलमेंट के दौरान जो नवीन नक्शा कायम किया है वह पूर्व नक्शें व मौका कब्जा काश्त के विपरित जाते हुये कायम किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही है तथा जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना मौके की जॉच व बिना रिकार्ड की जॉच किये व बिना पूर्व नक्शें की जॉच किये ही कायम किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही था जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 304 के वर्तमानन

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 235 के पूर्व खसरा नम्बर 630 के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 वकातलनामा पेश किया तथा जवाब एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। जवाब व आपत्ति प्रार्थना पत्र में वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने निवेदन किया कि करीब 60 वर्ष पूर्व भूमि एकीकरण की कार्यवाही संवत् 2020 में खसरा नम्बर 235 का एकीकृत राजस्व नक्शा कायम किया जिसके पश्चात संवत् 2065 मे नवीन खसरा नम्बर 304 का नक्शा कायम किया गया है जो कि साबिक खसरा नम्बर 235 के मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 630 को अनाधिकृत शामिल किया गया है जिसके संबंध में नियमित वाद ही पेश किया जा सकता है। संवत् 2020 का भूमि एकीकरण से पूर्व का नक्शा या संवत् 2020 में भूमि एकीकरण द्वारा कायम व एकीकृत नक्शा, जो कि संवत् 2065 तक रहा है। संवत् 2020 में एकीकृत नक्शें से लेकर संवत् 2065 तक प्रार्थीगण अपना वाद क्यो नही किया। प्रार्थीगण ने गुमरा पूर्ण तरीके से अपने कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल0आर0एक्त प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि एकीकरण मे कायम नक्शें को चूनौती नही दी जा सकती है। एकीकरण पूर्व के खसरा नम्बर 630 को एकीकरण कार्यवाही के दौरान खसरा नमबर 235 के मिलान क्षेत्रफल में अनाधिकृत शामिल कर दिया गया, जबकि राजस्व नक्शें में साबिक खसरा नम्बर 236 में शामिल कर खातेदारी रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा के रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शा तैयार किया गया है, जो कि वर्तमान खसरा नमबर 306 रकबा 4.4700है0 है। जिनको प्रार्थीगण ने समझने की भारी भूल की है। जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 304 के पूर्व खसरा नम्बर 235 के पूर्व खसरा नम्बर 630 के नक्शें से अभिप्राय क्या है उल्लेखित नही है। पूर्व नक्शा भूमि एकीकरण के समय कायम नक्शा या फिर संवत् 2065 मे हाल सेटलमेंट द्वारा कायम नक्शें से पूर्व नक्शा। पटवारी रिपोर्ट भूमि एकीकरण से पूर्व के नक्शें अनुसार कथन किये गये है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रकरण में कही भूमि एकीकरण से पूर्व के नक्शें का जिक तक नही किया है। अत: मुताबिक प्रकरण मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 306 रकबा 4.4700है0 भूमि मुताबिक रकबा बरारी राजस्व नक्शें में दर्ज है, जिसका रकबा कम कर खसरा नम्बर 304 के राजस्व नक्शे को बढाने के लिए प्रस्तुत प्रकरण खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण ने 60 वर्ष पूर्व एकीकरण संवत् 2020 की कार्यवाही के दौरान एकीकरण अधिकारीयों द्वारा मुताबिक मौके कब्जे एवं रकबा बरारी अनुसा तैयार किये के राजस्व नक्शें को चूनौती देते हुए मात्र भू राजस्व अधिनियम के तहत अन्तर्गत धारा 136 में आवेदन प्रस्तुत किया है तथा एकीकरण के पश्चात 60 वर्ष तक एकीकरण के रिकार्ड नक्शा रहता आया है जिसके पश्चात अभि हाल ही में नवीन सेटलमेंट किया गया है उसके पश्चात धारा 136 एल0आर0एक्ट में प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत काश्तकारी अधि0 की धारा 88, 89 के अनुतोष को एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत करने का अधिार प्रार्थीगण को नही है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि/ इन्द्राज के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है, जबकि प्रार्थीगण ने एकीकरण की कार्यवाही में कायम राजस्व नक्शों को लिपिकीय त्रुटि होना कथित किया है जो कि संवत् 2020 की एकीकरण की कार्यवाही है तथा एकीकरण की कार्यवाही मे कायम रिकार्ड लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही माने जा सकते है।

अप्रार्थी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/53 दिनांक 26.02.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 1.81है0 के साबिक खसरा नम्बर 235 है जो ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ में स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि मुताबिक रिकार्ड के खातेदारी भूमि है तथा वर्तमान नक्शा एवं एकीकरण के नक्शें में कोई अन्तर नही है किन्तु प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया फोटो प्रति लट्ठा ट्रेस चकंतराशि तरमीम नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के वर्तमान खसरा नमबर 304 रकबा 1.81है0 जिसका साबिक खसरा नमबर 235 रकबा 1.81है0 है एकीकरण से पूर्व के खसरा नम्बर 634, 636, 637, 638, 639 मीन, 640, 630, 635 कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा का नया नम्बर 235 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 304 रकबा 1.81है0 है। प्रार्थी द्वारा उलपब्ध कराया गया चकत राशि के नक्शें के अनुसार व मिलान क्षेत्रफल के सेटलमेंट खसरा नम्बर 630 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एकीकरण के खसरा नम्बर 235 मं सम्मिलित है। किन्तुत मुताबिक एकीकरण के नक्शें में खसरा नम्बर 630 अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 237 में सम्मिलित कर दिये गये है। जिसे प्रार्थीगण शुद्व/दुरूस्त करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जय

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दिनांक 29.07.24 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पीसी0 के तहत पेश कर मुताबिक नक्शों की रकबा बरारी सहित पूर्ण स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने जवाब न देकर सीधी बहस करना चाहा।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्रों, जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम साईवाड, पटवार मण्डल नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 304 के साबिक खसरा नम्बर 235 को एकीकरण से पूर्व नक्शें अनुसार दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढं को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़